(26)

रीवा कैम्प 251

न्यायालय श्री मान् माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्र० /2013

श्री अजेश उपाध्याय एड. द्वारा पेश 10.9.13

20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

D R-2251-III/13

239 10.9.13

तन्नू ढीमर तनय कोदू ढीमर उम्र 70 वर्ष, लगभग पेशा कृषि कार्य,

निवासी ग्राम ककेली तहसील मानपुर, जिला उमरिया म०प्र०

----- आवेदक

विरुद्ध

संतोष आ०: बसोर: तनय समई बसोर :आदिवासी? निवासीग्राम ककेली

तहसील मानपुर, जिला उमरिया म०प्र० ------ अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्

अनुविभागीय अधिकारी मानपुर जिला

उमरिया के राजस्व प्रकरण क्रमांक अपील/

34/209- 2010 मेंपारित आदेश दिनांक

25-4-2013ई० ।

निगरानी अन्तर्गत धारा50 म०प्र० भूराजस्व

संहितासन 1959ई०

मान्यवर

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य :- इस प्रकरण मे यह है कि आवेदक

द्वारा अनावेदक संतोष की मां मोलिया बाई पत्नी समई बसोर तथा

अनावेदक संतोष से भूमि खसरा क्रमांक 421 रकबा 0-14हे० 434 रकबा

0-18ए० 439 रकबा 0-20ए० एवम 423 रकबा 0-04हे० कुमला रकबा 4किता

.-2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग. R2251-III/13 जिला–उमरिया

तनकू ढीमर/ संतोष बसोर

(1)	(2)	(3)
5 8 19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री **संजय तिवारी** उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मानपुर के प्रकरण क्रमांक 34/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला उमरिया के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	